# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी** :— **श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.**

**राजस्व आवेदन संख्या** :— **79/2024**

**जी.सी.एम.एस. नम्बर** :— **2024/194**

**अनवान**

1. कैलाशी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण आत्मज गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पुष्पा पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारसी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकरी पत्नि गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1. अम्बालाल आत्मज हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गेहरीलाल आत्मज हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत — वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 एकपक्षीय

## निर्णय

दिनांकः—08.05.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 832, 1932/1915 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की उक्त आराजियात पर नाजायज दंखलदाजी करने लग गये, जिससे वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 16—05—2023 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 21.05.2024 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी संख्या 832, 1932/1915 पर मौके पर 0.2037 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

जो वादीगण की खातेदारी की ही पाई गई जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिक्री बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम गलवा में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजियात 832, 1932/1915 पर 0.2037 है0 भूमि से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 25.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

**वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।**

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 832, 1932/1915 दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी संख्या 832, 1932/1915 पर 0.2037 है0 भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा की आराजियात संख्या 832, 1932/1915 में रकबा 0.2037 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)<br>
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)<br>
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

**पीठासीन अधिकारी** :— **श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.**

**राजस्व आवेदन संख्या** :— **79 / 2024**

**जी.सी.एम.एस. नम्बर** :— **2024 / 194**

**अनवान**

1. कैलाशी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण आत्मज गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पुष्पा पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारसी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मी पुत्री गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकरी पत्नि गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1. अम्बालाल आत्मज हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गेहरीलाल आत्मज हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा की आराजियात संख्या 832, 1932 / 1915 में रकबा 0.2037 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिक्री आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा